राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला-अजमेर
राजस्व वाद संख्या 26/2015
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प – काबरा

श्रीमति लक्ष्मी पुत्री श्री रामा उर्फ रामसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बींयाखेडा, ग्राम पंचायत काबरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) ————वादिया

ब ना म

1– श्रीमति मूमी बेवा श्री खंगारा,
2– श्री भूरा वल्द श्री उरजा,
3– श्री दल्ला वल्द श्री केशा,
4– श्री किशनसिंह पुत्र स्व. श्री पूनमसिंह,
5– श्री ललितसिंह पुत्र स्व. श्री पूनमसिंह,
6– श्रीमति शारदा पुत्री स्व. श्री पूनमसिंह,
7– श्रीमति प्रेमी पुत्री स्व. श्री पूनमसिंह,
8– श्रीमति सीता पत्नि स्व. श्री पूनमसिंह,
9– श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री लादूसिंह,
10– श्री हजारीसिंह पुत्र श्री नाथा,
11– श्रीमति सीता पुत्री श्री नाथा,
12– श्री चैनसिंह वल्द श्री पूरा,
13– मु. बज्जी बेवा श्री पूरा,
14– श्रीमति तेजी पुत्री श्री पूरा,
15– श्रीमति कमल पुत्री श्री पूरा,
16– श्रीमति पानी पुत्री श्री पूरा,
17– श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री लादूसिंह,
18– श्री मिठू वल्द श्री हीरा,
19– श्री लाखासिंह पुत्र श्री जोरसिंह,
20– श्री गुमानसिंह पुत्र श्री जोरसिंह,
21– श्रीमति साबुडी पुत्री श्री देवा,
22– श्री छगनसिंह पुत्र श्री कूम्पा,
23– श्री मोतीसिंह पुत्र श्री कूम्पा,
24– श्री अरगसिंह पुत्र श्री कूम्पा,
25– श्री प्रकाश नाबालिग पुत्र श्री कूम्पा, बसरबराही माता श्रीमति बज्जी खुद व मु. बज्जी बेवा श्री कूम्पा,
26– मु. बज्जी बेवा श्री कूम्पा,
27– श्री नवलसिंह पुत्र श्री नाथा,
28– श्री वृद्धिसिंह पुत्र श्री नाथा,
29– मु. मूमी बेवा माला,
30– श्री राजू पुत्र श्री माला,
31– श्री आफू वल्द श्री बचना,
32– श्री माला वल्द श्री केशा,
33– मु. भंवरजी बेवा श्री देवा,
34– श्री मोहनसिंह पुत्र श्री देवा,
35– श्री हांसा पुत्र श्री केशा,
समस्त जाति रावत, निवासियान ग्राम बींयाखेडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
36– श्रीमान तहसीलदार महोदय (लैण्ड होल्डर), ब्यावर (राज.)
37– राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज.)

————प्रतिवादीगण

..........लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2017"

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय — दिनांक 26.05.2017

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट काबरा में प्रस्तुत हुआ। वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है कि मौजा ग्राम बींयाखेड़ा, पटवार हल्का धोलादांता द्वितीय, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काबरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) में निम्न वर्णित आराजियात काश्त भूमियॉ खाता नंबर नया 76 पुराना 73 खसरा नंबर 5568 रकबा 01–06–10 किस्म बा. 1, 570 रकबा 00–14–00 किस्म बा. 3, 571 रकबा 01–14–00 किस्म बा. 3, 572 रकबा 00–19–10 किस्म बा. 3, 573 रकबा 00–10–10 किस्म बा. 3, 574 रकबा 00–16–00 किस्म बा. 3, 576 रकबा 00–12–10 किस्म बा. 1, 580/1 रकबा 00–08–00 किस्म बा. 1, 580/2 रकबा 00–01–00 किस्म बा. 3, 581/1 रकबा 01–09–10 किस्म बा. 1, 581/2 रकबा 00–03–00 किस्म बा. 3, 582 रकबा 00–07–00 किस्म बा. 1, 583 रकबा 01–19–00 किस्म बा. 1, 584 रकबा 01–10–10 किस्म बा. 1, 586 रकबा 02–14–10 किस्म बा. 1, कुल रकबा 16–16–00 व खाता नंबर नया 77 पुराना 73 खसरा नंबर 478/1 रकबा 00–16–00 किस्म बा. 2, 486/1 रकबा 00–08–00 किस्म बा. 2, 554 रकबा 00–12–10 किस्म बा. 2, 555 रकबा 01–13–00 किस्म बा. 2, 556 रकबा 01–06–00 किस्म बा. 1, 591/1 रकबा 00–01–10 किस्म चाही. 3, 629 रकबा 01–07–00 किस्म बा. 1, 631 रकबा 00–19–00 किस्म बा. 1, 556 रकबा 01–06–10 किस्म बा. 1, 632/1 रकबा 04–03–00 किस्म बा. 2, 633 रकबा 01–07–00 किस्म बा. 1, 643 रकबा 01–08–10 किस्म बा. 1, 645 रकबा 00–11–10 किस्म बा. 1, 646 रकबा 00–11–10 किस्म बा. 1, 647 रकबा 00–12–00 किस्म बा. 2, 659 रकबा 00–18–00 किस्म बा. 2, 663 रकबा 01–10–10 किस्म बा. 2, 664 रकबा 01–06–10 किस्म बा. 1, 666 रकबा 00–09–10 किस्म बा. 1, 667 रकबा 00–02–10 किस्म गै.मु., 668 रकबा 00–10–00 किस्म बारानी, 669 रकबा 00–19–00 किस्म बारानी, 672 रकबा 00–18–10 किस्म बा. 3, 716 रकबा 01–17–00 किस्म बा. 1, कुल रकबा 25–08–00 व खाता नंबर नया 78 पुराना 76 खसरा नंबर 632/2 रकबा 00–04–00 किस्म बा. 3, व खाता नंबर नया 79 पुराना 75 खसरा नंबर 478/2 रकबा 00–01–10 किस्म बा. 3, 486/2 रकबा 00–02–00 किस्म बा. 3, कुल रकबा 00–03–10 स्थित है। उपरोक्त भूमियॉ वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की चली आ रही हैं, जिसमें राजस्व खाते में वर्णितानुसार वादीया का हक, हिस्सा निहित चला आ रहा है, संयुक्त खाता होने की वजह से वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आयेदिन विवाद होता रहता है। वादीया के ससुराल में रहने के कारण जब कभी भी अपने हिस्से के खेतों में फसल काश्त करने आती है तो प्रतिवादीगण उसकी काश्त पर ऐतराज करते हैं और मौके पर विवाद कर वादीया को काश्त नहीं करने देते हैं और ससुराल में रहने के कारण प्रतिवादीगण उसके हक व हिस्से की आराजीयात को खुर्दबुर्द व हड़प कर जाना चाहते हैं, इस कारण आयेदिन मौके पर विवाद करते हैं। वादीया ने प्रतिवादीगण को अपने अपने हिस्से अनुसार उपरोक्त समस्त संयुक्त आराजीयात का माप व सीमांकन से बंटवारा करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये और तहसील में आकर आपसी सहमति से बंटवारा करने से मना कर दिया, जिस पर वादीया ने पटवारी हल्का को उसके हिस्से अनुसार मौके पर विभाजन करने को कहा तो पटवारी इंकार हो गया और न्यायालय से बंटवारे की डिक्री लाने हेतु कहा, इस कारण वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। वादीया अपनी उपरोक्त संयुक्त कब्जे/खातेदारी की भूमियों का अलग से खाता नंबर/मिन नंबर डलवाकर अपने हिस्से में आई भूमियॉ का अलग से खाता कायम करवाना चाहती है । अतः दावा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया

......................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

जाकर वाद में वर्णित भूमियों को वादीया के हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर माप व सीमांकन से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमियों का समान रूप से विभाजन किया जाकर एवं उसमें आने जाने के रास्ते व धोरें कायम किये जाकर बंटवारे की डिक्री पारित की जावे व वादीया के खेत के अलग से खसरा नंबर व मिन नंबर डाले जाकर अलग से जमाबंदी कायम की जावे और वादीया के हिस्से के खेतों के उपयोग, उपभोग में दखलअंदाजी न करने हेतु प्रतिवादीगण को निषेध किया जावे। तथा वाद का खर्चा दिलवाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण लोक अदालत में पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी गुमानसिंह व शीला की और से बेचाननामा दिनांक 24.6.2015 की छाया प्रति पेश हुई।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया वादिया ने ग्राम बींयाखेडा पटवार हल्का धोलादाता II की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या 76 में वादिया का नाम दर्ज होना पाया गया। वादीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 24.06.2015 के द्वारा विवादित भूमियो में निहित अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा श्री गुमानसिंह पुत्र जोरसिंह, श्रीमति शीलादेवी पत्नि श्री लाखासिंह को बेचान किया जाना पाया गया। एंव जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 66, 67 में जरिए नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 05.08.2015 से उक्त खरीददार का नाम दर्ज होना पाया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादिया ने विवादित भूमियो में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा बेचान किया कर दिया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात में वादिया के कोई हक अधिकार शेष नहीं रहने से वादिया का वाद प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट काबरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] समारिया)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर

व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

राजस्व वाद संख्या 26 सन् 2015

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प –काबरा

श्रीमति लक्ष्मी पुत्री श्री रामा उर्फ रामसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बींयाखेड़ा, ग्राम पंचायत काबरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) ————वादिया

ब ना म

1– श्रीमति मूमी बेवा श्री खंगारा,
2– श्री मूरा वल्द श्री उरजा,
3– श्री दल्ला वल्द श्री केशा,
4– श्री किशनसिंह पुत्र स्व. श्री पूनमसिंह,
5– श्री ललितसिंह पुत्र स्व. श्री पूनमसिंह,
6– श्रीमति शारदा पुत्री स्व. श्री पूनमसिंह,
7– श्रीमति प्रेमी पुत्री स्व. श्री पूनमसिंह,
8– श्रीमति सीता पत्नि स्व. श्री पूनमसिंह,
9– श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री लादूसिंह,
10– श्री हजारीसिंह पुत्र श्री नाथा,
11– श्रीमति सीता पुत्री श्री नाथा,
12– श्री चैनसिंह वल्द श्री पूरा,
13– मु. बज्जी बेवा श्री पूरा,
14– श्रीमति तेजी पुत्री श्री पूरा,
15– श्रीमति कमला पुत्री श्री पूरा,
16– श्रीमति पानी पुत्री श्री पूरा,
17– श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री लादूसिंह,
18– श्री मिठू वल्द श्री हीरा,
19– श्री लाखासिंह पुत्र श्री जोरसिंह,
20– श्री गुमानसिंह पुत्र श्री जोरसिंह,
21– श्रीमति रावुडी पुत्री श्री देवा,
22– श्री छगनसिंह पुत्र श्री कूम्पा,
23– श्री मोतीसिंह पुत्र श्री कूम्पा,
24– श्री अरमसिंह पुत्र श्री कूम्पा,
25– श्री प्रकाश नाबालिग पुत्र श्री कूम्पा, बसरबराही माता श्रीमति बज्जी खुद व मु. बज्जी बेवा श्री कूम्पा,
26– मु. बज्जी बेवा श्री कूम्पा,
27– श्री नवलसिंह पुत्र श्री नाथा,
28– श्री वृद्धिसिंह पुत्र श्री नाथा,
29– मु. मूमी बेवा माला,
30– श्री राजू पुत्र श्री माला,
31– श्री आफू वल्द श्री बचना,
32– श्री माला वल्द श्री केशा,

............................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2017"

33– मु. भंवरजी बेवा श्री देवा,
34– श्री मोहनसिंह पुत्र श्री देवा,
35– श्री हांसा पुत्र श्री केशा,
समस्त जाति रावत, निवासियान ग्राम बींयाखेडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
36– श्रीमान तहसीलदार महोदय (लैण्ड होल्डर), ब्यावर (राज.)
37– राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज.)

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीया – श्री सी0डी0सांखला
अधिवक्ता प्रतिवादी – ———
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.36से37 – पैरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– **26/2015**
निर्णय/डिक्री दिनांक :– **26.05.2017**

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट काबरा में पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 36 से 37 पैरोकार सरकार उपस्थित। मजमें आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.05.2017 को पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट काबरा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आज तारीख 26.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पीयूष समारिया)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(पीयूष समारिया)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर